आर.ई.ओ.–164

जोधपुर
विद्युत वितरण निगम लिमिटेड
जोधपुर

क्रमांक : जोडि/अ.अ./पीपी एण्ड एम/फा० सामान्य/प्रे० 2792 दिनांक 16/12/08

आदेश

इस कार्यालय के पत्र संख्या 1565 दिनांक 28.08.08 (प्रतिलिपी संलग्न) द्वारा जयपुर निगम के आर०ई०ओ०–201 दिनांक 27.08.2008 के अनुसार द्वितीय चरण के मांग पत्र दिनांक 15.09.08 से 30.09.08 तक जारी कर, इन मांग पत्रों की राशि 90 दिन में 31.12.08 तक जमा करवानी थी एवं जमा मांग पत्रों के 1/3 कनेक्शन जनवरी, 2009, 1/3 कनेक्शन फरवरी 2009 एवं बकाया 1/3 कनेक्शन मार्च–2009 में जारी करने का प्रावधान है।

यह निर्णय लिया गया है कि प्रथम चरण के शेष मांग पत्र जमा आवेदकों को जोधपुर डिस्कॉम आदेश संख्या 1279 दिनांक 18.07.2008 (आर०ई०ओ०–162) के तहत जारी मांग पत्रों के समस्त अनुसूचित जाति, जनजाति उपयोजना क्षेत्र एवं सहरिया क्षेत्र किशनगंज व शाहबाद पंचायत समिति के अनुसचित जनजाति एवं जिन्हे तुरन्त प्राथमिकता के आधार पर कृषि कनेक्शन देय है तथा जिन्होंने मांग–पत्र की राशि जमा करादी है, दो साल से अधिक कटे कनेक्शनों को पुनः चालू करने एवं समस्त स्थान परिवर्तन के आवेदकों, जिन्होंने मांग पत्र की राशि दिनांक 30.09.2008 तक जमा करा दी है, उनके कनेक्शन दिसम्बर–2008 में जारी कर दिये जावे।

16/12/08
अधीक्षण अभियन्ता (पी.पी.एम.)
जोधपुर डिस्कॉम,जोधपुर।

प्रतिलिपी निम्नलिखित को वास्ते सूचनार्थ प्रेषित है:–

- अध्यक्ष, डिस्कॉम्स जयपुर
- वित्तीय निदेशक, जोधपुर डिस्कॉम, जोधपुर।
- उप मुख्य अभियन्ता (एम.एम. एण्ड टी डब्लू) जोधपुर डिस्कॉम, जोधपुर।
- [illegible] मुख्य अभियन्ता (जे.जोन/बी.जोन) जोधपुर डिस्कॉम, जोधपुर/बीकानेर।
- मुख्य लेखाधिकारी, जोधपुर डिस्कॉम जोधपुर।
- प्रवर सहायक माननीय प्रबन्ध निदेशक महोदय, जोधपुर डिस्कॉम, जोधपुर
- [illegible] अभियन्ता [illegible] एवं सं [illegible] जोधपुर/ [illegible]
  [illegible]
  [illegible] अधीक्षक पुलिस (स [illegible]) [illegible] डिस्कॉम, जोधपुर
- [illegible] सचिव, माननीय [illegible] राजस्थान, जयपुर।
- [illegible] लेखाधिकारी ([illegible] अंकेक्षण) जोधपुर डिस्कॉम, जोधपुर/बीकानेर।
- [illegible] सचिव/[illegible] जोधपुर डिस्कॉम,जोधपुर।
- अधिशाषी अभियन्ता [illegible] सं.सं./सतर्कता/अंकेक्षण) जो [illegible]
  ([illegible] के अतिरिक्त [illegible] कनिष्ठ अभियन्ता को अतिरिक्त प्रतिलिपि संलग्न है।)
- [illegible]

अधीक्षण अभियन्ता (पी.पी.एम.)
जोधपुर डिस्कॉम,जोधपुर।